क्रम संख्या–153

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी०/एल०–डब्लू०/एन०पी०–91/2011–13

लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, शुक्रवार, 18 जुलाई, 2014

आषाढ़ 27, 1936 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग–1

संख्या 975/79-वि-1–14-1(क)19/2014

लखनऊ, 18 जुलाई, 2014

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2014 पर दिनांक 17 जुलाई, 2014 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन् 2014 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है:–

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2014

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन् 2014)

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के पैंसठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

1–यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2014 संक्षिप्त नाम कहा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 29, सन् 1974 द्वारा यथा संशोधित और पुनः अधिनियमित राष्ट्रपति अधिनियम संख्या 10, सन् 1973 की धारा 18-क का संशोधन

2-उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 18-क में, उपधारा (1) में शब्द "जिसका अध्यक्ष कुलाधिपति होगा" के स्थान पर शब्द "जिसका अध्यक्ष, कुलाधिपति होगा व उपाध्यक्ष मुख्यमंत्री या उनका नामनिर्देशिती होगा जो कैबिनेट मंत्री से निम्न स्तर का न होगा" रख दिये जायेंगे।

धारा 37 का संशोधन

3-मूल अधिनियम की धारा 37 में,-

(क) उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात् :-

"(2) कार्यपरिषद सम्बद्धता की ऐसी शर्तों को, जो विहित की जायें, पूरा करने वाले महाविद्यालय को सम्बद्धता का विशेषाधिकार प्रदान कर सकेगी अथवा पहले से सम्बद्ध किसी महाविद्यालय के विशेषाधिकार को बढ़ा सकेगी या उपधारा (8) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए किसी ऐसे विशेषाधिकार को वापस ले सकेगी या उसमें कमी कर सकेगी।"

(ख) उपधारा (8) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात् :-

"(8) कार्यपरिषद द्वारा किसी ऐसे महाविद्यालय की सम्बद्धता का विशेषाधिकार जो उपधारा (7) के अधीन कार्यपरिषद के किसी निदेश का अनुपालन करने में अथवा सम्बद्धता की शर्तों को पूरा करने में असफल हो, महाविद्यालय के प्रबन्धतन्त्र से उस विषय पर रिपोर्ट लेने के बाद परिनियमों के उपबन्धों के अनुसार वापस लिया जा सकेगा या कम किया जा सकेगा।"

(ग) उपधारा (10) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात् :-

"(11) कोई संस्था, जिसका आवेदन विश्वविद्यालय द्वारा नामंजूर कर दिया गया हो, राज्य सरकार के समक्ष नामंजूरी आदेश की प्राप्ति के दिनांक से 30 दिन के भीतर राज्य सरकार के समक्ष अपील कर सकती है, जो अपील को मंजूर या नामंजूर कर सकती है। राज्य सरकार को ऐसे मामलों में जहाँ महाविद्यालय द्वारा की गयी अनियमितता के सम्बन्ध में शिकायत प्राप्त हो, महाविद्यालय के आवेदन के सम्बन्ध में पुनर्विलोकन की भी शक्ति होगी।"

धारा 38 का संशोधन

4-मूल अधिनियम की धारा 38 में,-

(क) उपधारा (4) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात् :-

"(4) किसी सहयुक्त महाविद्यालय की मान्यता की शर्तें ऐसी होंगी जैसा कार्यपरिषद द्वारा विहित अथवा अधिरोपित की जाय।"

(ख) उपधारा (7) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात्:-

"(7) यदि कार्यपरिषद का यह समाधान हो जाय कि किसी सहयुक्त महाविद्यालय ने मान्यता की शर्तों को पूरा करना बन्द कर दिया है अथवा उसने इस अधिनियम के अधीन अपने कर्तव्यों का पालन करने में अथवा कार्यपरिषद द्वारा उसके काम में बताई गयी किसी त्रुटि को दूर करने में निरन्तर व्यतिक्रम किया है, तो प्रबन्धतन्त्र द्वारा दिये गये किसी स्पष्टीकरण पर विचार करने के पश्चात् कार्यपरिषद द्वारा ऐसे महाविद्यालयों की मान्यता वापस ली जा सकेगी।"

उद्देश्य और कारण

राज्य विश्वविद्यालयों के कृत्यों में विलम्ब को दूर करने एवं उन्हें और अधिक स्वायत्तता प्रदान करने और समन्वय परिषद में राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह विनिश्चय किया गया है कि उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 29 सन् 1974 द्वारा यथा संशोधित और पुनः अधिनियमित उत्तर प्रदेश राज्य

[illegible] प्रेसीडेन्ट्स एक्ट, 1973 (राष्ट्रपति अधिनियम संख्या 10 सन् 1973) को संशोधित करके मुख्यतः निम्नलिखित [illegible]–

(क) समन्वय परिषद् के उपाध्यक्ष के रूप में मुख्यमंत्री या उनके नामनिर्देशिती, जो कैबिनेट मंत्री से निम्न स्तर का न होगा, को सम्मिलित किया जाना,

(ख) कार्यपरिषद् द्वारा किसी महाविद्यालय को सम्बद्धता प्रदान किये जाने हेतु राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से सम्बन्धित उपबन्ध का निकाला जाना;

(ग) कार्यपरिषद् द्वारा किसी महाविद्यालय की सम्बद्धता के विशेषाधिकार को वापस लेने या उसमें कमी करने हेतु राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति सम्बन्धित उपबन्ध का निकाला जाना,

(घ) किसी संस्था, जिसका आवेदन विश्वविद्यालय द्वारा नामंजूर कर दिया गया हो, को राज्य सरकार के समक्ष अपील करने का अवसर प्रदान करना और राज्य सरकार को, ऐसे मामलों में जहाँ महाविद्यालयों द्वारा की गयी अनियमितता के सम्बन्ध में शिकायत प्राप्त हो, महाविद्यालय के आवेदन के सम्बन्ध में पुनर्विलोकन की शक्ति प्रदान करना;

(ङ) किसी सहयुक्त महाविद्यालय को स्नातकोत्तर उपाधियों के लिये शिक्षण प्रदान करने हेतु प्राधिकृत करने के लिये राज्य सरकार का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने से सम्बन्धित उपबन्ध का निकाला जाना;

(च) कार्यपरिषद् द्वारा किसी सहयुक्त महाविद्यालय की मान्यता को वापस लिये जाने हेतु राज्य सरकार का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने से सम्बन्धित उपबन्ध का निकाला जाना।

तद्नुसार उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2014 पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
एस०बी० सिंह,
प्रमुख सचिव।

No. 975(2)/LXXIX-V-1-14-1(ka)19-2014
Dated Lucknow, July 18, 2014

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Rajya Vishwavidyalaya) Dwitiya (Sanshodhan) Adhiniyam, 2014 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 14 of 2014) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on July 17, 2014:–

THE UTTAR PRADESH STATE UNIVERSITIES (SECOND AMENDMENT) ACT, 2014

(U.P. Act no. 14 of 2014)

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh State Universities Act, 1973.

IT IS HEREBY enacted in the Sixty-fifth Year of the Republic of India as follows :–

1. This Act may be called the Uttar Pradesh State Universities (Second Amendment) Act, 2014. Short title

2. In section 18-A of the Uttar Pradesh State Universities Act, 1973 hereinafter referred to as the principal Act in sub-section (1) *for* the words "the Chancellor as its Chairman," the words "the Chancellor as its Chairman, the Chief Minister or his nominee not below the rank of Cabinet Minister as its Vice-Chairman" shall be *substituted*.

Amendment of section 18-A of Presidents Act no. 10 of 1973 as amended and re-enacted by U.P. Act no. 29 of 1974

Amendment of section 37

3. In section 37 of the principal Act,-

(a) *for* sub-section (2) the following sub-section shall be *substituted*, namely :-

"(2) The Executive Council may, admit any college which fulfils such conditions of affiliation as may be prescribed, to the privileges of affiliation or enlarge the privileges of any college already affiliated or subject to the provisions of sub-section (9), withdraw or curtail any such privilege."

(b) *for* sub-section (8) the following sub-seciton shall be *substituted*, namely :-

"(8) The privileges of affiliation of a college which fails to comply with any direction of the Executive Council under sub-section (7) or to fulfil the conditions of affiliation may, after obtaining a report from the Management of the college be withdrawn or curtailed by the Executive Council in accordance with the provisions of the Statutes.";

(c) *after* sub-section (10) the following sub-section shall be *inserted*, namely :-

(11) Any institution whose application is rejected by the University may prefer an appeal to the State Government within 30 days from the receipt of the order of rejection, which may either allow the appeal or reject it. The State Government shall also have power to review the matter of application of a college in cases where the complaints received by it with respect to the irregularities committed by the college."

Amendment of section 38

4. In section 38 of the principal Act,-

(a) *for* sub-section (4) the following sub-section shall be *substituted*, namely :-

"(4) The conditions of recognition of an associated college shall be such as may be prescribed or imposed by the Executive Council.";

(b) *for* sub-section (7) the following sub-section shall be *substituted*, namely :-

"(7) The recognition of an associated college may be withdrawn by the Executive Council if it is satisfied after considering any explanation furnished by the Management, that it has ceased to fulfil the conditions of its recognition or that it persists in making default in the performance of its duties under this Act or in the removal of any defect in its work pointed out by the Executive Council."

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

With a view to avoiding delay in the functioning of the State Universities and giving more [illegible] representation of the State Government in Co-ordination Council it has

(c) omission of the provision regarding the previous sanction of the State Government withdrawl or curtailing the previleges of affiliation to a college by the Executive Council;

(d) giving of opportunity to a institution whose application is rejected by the Universit prefer an appeal to the State Goverment and empowering the State Government to review matter of application of a college in cases where the complaints received by it with respect to irregularities committed by the college;

(e) omission of the provision regarding obtaining of previous approval of the Government to authorise an associated college to impart instructions for post-graduate degree

(f) omission of the provision regarding obtaining of previous approval of the Government for withdrawl of recognition of an associated college by the Executive Council.

The Uttar Pradesh State Universities (Second Amendment) Bill, 2014 is introduced accordin

By order,
S.B. SINGH,
Pramukh Sachiv.

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 211 राजपत्र(हि0)–2014–(577)–399 प्रतियां (कम्प्यूटर / टी0 / आफसेट)।